

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक-एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/160

दिनांक:- 5/1/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय :- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 - निर्वाचन हेतु तैयारी के संबंध में।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव सम्पादित कराने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेश-निर्देश इत्यादि जारी किए गए हैं। चुनाव विधि सम्मत, निर्बाध, शांतिपूर्ण एवं सही प्रकार से हो, इसके लिए आवश्यक है कि, आप द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के साथ आयोग द्वारा प्रसारित सांविधिक/सामान्य आदेश/निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर आपके अधीन चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों को यथासमय इनकी जानकारी दी जाए। इस संबंध में आपको निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले में चुनाव संबंधी निम्नलिखित कार्यों की प्रगति से दिनांक 12.01.2015 तक आयोग को अवगत कराया जाए कि, आप द्वारा कौनसा कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यदि कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है, तो उसे पूर्ण करने की दिनांक से भी आयोग को अवगत करावें।

1. मतदान केन्द्रों/सहायक मतदान केन्द्रों का चयन एवं अधिग्रहण।
2. चुनाव व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन।
3. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एवं रेण्डमाईजेशन।
4. मतपेटियों की व्यवस्था।
5. कार्मिकों एवं वाहनों का अधिग्रहण।
6. मतदान दलों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।
7. मतदान सामग्री के बैग्स की तैयारी।
8. मतगणना स्थलों का चयन एवं अधिग्रहण।
9. मतदान के पश्चात् ईवीएम/मतपेटियों के संग्रहण हेतु स्थान का चयन एवं सुरक्षा व्यवस्था।
10. जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त करना।
11. मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु आवश्यक व्यवस्था।
12. मतपत्रों का मुद्रण। (पंच/सरपंच के लिए)
13. गणन पर्यवेक्षक एवं गणन सहायक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण।


(सत्यप्रकाश बसवाली)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

04/01/15